Saarth E-Journal

Saarth E-Journal of Research

E-mail : sarthejournal@gmail.com
www.sarthejournal.com

ISSN NO : 2395-339X
Peer Reviewed
Vol.8 No.01

Impact Factor
Quarterly
Apr-May-Jun 2023

Rural Development: Problems & Solutions

Prof. L. D. Chavda

प्रस्तावना

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारत गाँवो में बसता है और ग्रामीण विकास से ही हमारे देश का सर्वांगीण विकास होना संभव हो सकता है । भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवो में निवास करती है । 1951 से हमारे देश में “आर्थिक नियोजन युग” का सूत्रपात हुआ जिसके माध्यम से विभिन्न विकास कर्यक्रमों को लागू किया जा रहा है । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में तीव्र ग्रामीण विकास केउद्देश्य कौचित प्राथमिकता दी जाती है । इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता दी जात्री रही है । बडी मात्रा में हुई बेरोजगारी तथा एक-तिहाई से भी अधिक जनसंख्या का निर्धनता की रेखा के नीचे होने से स्पष्ट है कि निर्धनता उन्मूलन क्रियांवयन का होना आवश्यक है ।

ग्रामीण विकास उन विषयों में से एक है जिनको क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में निरंतर महत्व दिया जाता है । योजनाकारल के प्रारंभ से ही कई विकास कार्यक्रम आरंभ हुए व भूमिहीन मजदूरों के विकास के लिये कार्यक्रम आरंभ किया गया । गरीब ग्रामीणों को विशेषकर वर्ष में अपर्याप्त रोजगार के समय रोजगार देने के लिये राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम भी आरंभ किया गया । ईस प्रकार स्वाधीनता के पश्चात ग्रामीण विकास के प्रयास आरंभ हुए

भारत के संदर्भ में परिवार को पालन पोषण तथा देखभाल का एक सिनुश्चित साधन माना जाता है । जहाँ लोग पारस्परिक सम्मान व प्रेम-सूत्र में बँधे रखते है । विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए यह सुरक्षात्मक स्थल माना जाता है, जहाँ विशेष रूप से

सामाजिक सुरक्षा मिलती है । समाज में उधमिता का विकास किसी हद समाज में व्यापक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक कारणों पर अनिर्भर करता है ।

भारत में सन 1951 से योजना योग प्रारम्भ हुआ । योजनाबद्ध आर्थिक विकास के 40 वर्ष की अवधि में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने हेतु अनेक प्रयास किये गये है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की काया पलटी है । फिर भी इन विकास कार्यक्रमों के क्रियांवय में बसता है जिनको दूर करना आवश्यक है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांवो में बसता है और यदि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो जाता है तो सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो जायेगा ।

ग्रामीण विकास की समस्याएं :

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का निम्न रूप से क्रियांवयन करने में समस्याएँ प्रमुख हैं ।

(1) भूमि पर जनभार :

भारत में जनसंख्या तेजी से बढ रही है । इस जनसंख्या वृद्धि की समस्या से विकास कार्यक्रमों के प्रर्याप्त लाभ संबंधित व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं । इस बढते हुए जनभार से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में उपजविभाजन एवं अपखण्डन की समस्या उत्पन्न् हो गई है । जिस्से अनार्थिक जोतों से आधुनिक उन्नत तरीकों से कृषि नहीं की जा सकती है और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होता है ।

(2) नई प्रोद्योगिकी के प्रयोग की समस्या :

कृषि क्षेत्र में नई प्रोद्योगिकी के प्रयोग से कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आयी है । लेकिन इस खुशहाली से ग्रामीण क्षेत्र का समृद्ध वर्ग ही लाभांवित हुआ है जबकि लघु कृषक सीमान्त कृषक, भूमिहीन श्रमिक आदि इस खुशहाली से वंचित रहे है ।

(3) आय एवं धन की विषमताओं की वृद्धि :

योजनाबद्ध आर्थिक विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई है । निर्धन और भी निर्धन हुए है तथा गरीबी की रेखा के नीचे आने वाला ग्रामीण जनसंख्या का भाग और बढा है । कृषि की नवीन तकनीकी ने इन विषमताओं में वृद्धि के लिए आग में घी जैसा कार्य किया है ।

(4) सामन्तवादी नये वर्ग का प्रभुत्व :

प्राचीन जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कानूनी रूप से किया जा चुका हए लेकिन कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के कारण बडे बडे लोगों, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों ने कृषि के नाम पर निर्धन किसानों से भूमि हथिया ली है और आय कर से बचने के लिए अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय में दर्शाते हैं । साथ ही भूमि की सीमाबन्दी जैसे भूमी सुधार कार्यक्रमो को लागू करने में बाधाएं उत्पन्न करके अपने प्रभुत्व को बनायें रखा है । इस वर्ग ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लाभांवित होने वाले वर्ग तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न की है।

(5) प्रदर्शनकारी प्रभाव :

ग्रामीण क्षेत्र शहरीं से यातायात एवं संदेश वाहन के साहनों से जुड गये है जिसका प्रभाव ग्रामीण समाज के व्यवहार, रहन सहन पर भी पडा है । ग्रामीण क्षेत्र में पालनपोषण होकर शहरीकरण के प्रभाव में इन्हीं क्षेत्र के लोगों का शोषण करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है तथा ग्रामीण समुदाय अपनी अल्प बचत को विभिन्नवस्तुओं के उपभोग पर प्रदर्शनकारी प्रभाव में आकर व्यय करने लगा है । अनेक विलासिताओं से ग्रामीण समुदाय की आय कुशलया पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है ।

(6) ग्रामीण बेरोजगारी :

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी निरंतर बढी है । कृषि क्षेत्र में 15 से 50 प्रतिशत भाग छिपी हुई बेरोजगारी में विद्यमान है । कृषि में आधुनिक तकनीकि के होने के कारण शिक्षित वर्ग में भी बेरोजगारी बढी है । गैर कृषि क्रियाओं में उत्पादन की आधुनिक तकनीकी ने रोजगार के अनेक अवसरों में और कमी कर डाली है । इससे लघु कृषक तथा भूमीहीन श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि से आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है ।

समस्याओं का समाधान :

ग्रामीण विकास के मार्ग में आने वाली उपर्युक्त समस्याओं के समाधान एवं भावी विकास की संभावनाओं हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकता है ।

(1) जन संख्या पर नियंत्रण :

जनसंख्या सभी समस्याओं की जननी है । अतः सघन परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए । सरकारी सेवा में भर्ती तथा पदोन्नती जैसी प्रेरणायें भी अल्पकालीन कार्यक्रम के रूप में शुरू करके बढती हुई जनसंख्या को रोकने में सहायक हो सकती है । इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम समझदार सम्पूर्ण स्तरों पर सभी समुदायों द्वारा दृढ संकल्प से अपनाया जाना चाहिए ।

(2) कृषि प्रोद्योगिकी का निरंतर प्रभाव :

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विद्यमान सामाजिक संरचना में परिवर्तन कर इसके प्रवाह को बनायें रखने के साथ साथ इन क्षेत्रों की ओर मोडना होगा । जोकि इसके प्रयोग से अछूते रहे हैं । लघु एवं सीमान्त कृषकों कोअधिक उपज देने वाले बीज, कीटनाशक दवाएं आदि कृषि आदानों को पर्याप्त मात्रा में सही समय पर उचित किमत पर सुलभ कराने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे की हरित क्रांति के लाभों से यह वर्ग वंचित न रहे ।

(3) भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन :

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु आधारभूत भूमिसुधार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु प्रभावी कानून बनायें जिससे की भूमि की सीमाबंदी, तकबंदी आदि से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि की जा सके तथा भूमिहीन को अधिग्रहन की गई भूमि का आवंटन की गई भूमि का आवंटन कर उन्हें गरीबी की रेखा से उपर उठाया जा सके । यह सरकार के दृढ संकल्प, इनामदार एवं कुशल प्रशासन तथा जनसहयोग पर निर्भर करता है ।

(4) वित्तीय संस्थाओं का पुर्नगठन :

ग्रामीण विकास में विभिन्न कार्यक्रमों को लागु करने हेतु अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रही है जैसे सहकारी साख संस्थाएं, व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक आदि । इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का वितरण सही लाभान्वित इकाइयों में करने गेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे । इसके साथ ही दिये गये ऋण के सही उपयोग पर भी निरंतर एवं कडा पर्यवेक्षण करना होगा जिससे कि स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करके रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकें । साधन सम्पन्न वर्ग द्वारा इन संस्थाओं के साधनों से लाभ प्राप्त किया गया है और साधन विहीन समाज का वर्ग इन लाभों से वंचित रखा है ।

(5) एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन :

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक वरदान सिद्ध हो सकता है शर्त यह है कि इसके अंतर्गत लाभांवित होने वाली इकाईयों का निष्पक्ष एवं सही चयन किया जाये तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं का उत्पादन कार्यों में ही उपयोग किया जाये । इन कार्यक्रमों में निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकती है । सघन कृषि क्षेत्रों के सर्वेक्षण के माध्यम से फसल तैयार करके अनुकूलतम उपयोग साधनों का किया जा सकता है । प्रौढ शिक्षा एवं चिकित्सा-सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्र में निरक्षरता जैसे बुराई को दूर करके स्वस्थ ग्रामीण जनसंख्या को पोत्साहन मिल सकेगा ।

कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण जनसंख्या के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है । कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर कृषि में लगे लोगों की अतिरिक्त आय में वृद्धि की जा सकती हैं ।

बैंकिग एवं वित्तीय संस्थाओं तथा यातायात के साधनों का जाल बिछाकर ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोडकर विकास को और तेज किया जा सकता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ जैसे स्कूल, स्वास्थ्य, सडक, पेयजल, विद्युतीकरण आदि का प्रावधान । ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार । सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान ।

ऋण और सबसिडी के माध्यम से उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगतपरिवारों और स्वयं सहायता समूह के लिए सहायता । भारत अपने गाँवों में बसा है, इस समझ को ध्यान में रखकर आरसीएफ ने ग्रामीण स्तर पर सामाजिक-अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने का संकल्प लिया है ।

हमारे देश के लगभग 77 प्रतिशत नागरिक गाँवों में रहते हैं । कृषि और पशुपालन का लगभग 95 प्रतिशत कार्य गाँवों में संपन्न किया जाता है, गृह उद्योगो के पतन के कारण कृषि और पशुपालन गाँवों की एक मात्र आर्थिक गतिविधि रह गई है और गाँवों के

केवल 29, 57 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है । इन परिस्थितियों में ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी और भूमिहीन श्रमिकों सीमान्त किसानों के लिए सार्थकरोजगार परक वा आय अर्जन परक कार्यक्रम प्रारम्भ करने होंगे ।

Prof. L. D. Chavda
H.O.D., Sanskrit Department